राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 451 दिनांक : 17.5.2011

सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 13-05-2011 का कार्यवाही विवरण

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ कार्यालय, संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों /लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 13-05-2011 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गयी।

उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :-

क्र.सं.	बिन्दु जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1	ऑनलाईन बजट आवंटन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) विभाग में लागू किया जाना।	ऑनलाईन बजट आवंटन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) विभाग में लागू की जा चुकी है। बैठक में इस सम्बन्ध में समस्त सहा. लेखाधिकारियों को सूचित किया जाकर Pass Word आवंटित किये गये एवं इसको चालू करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन (Demo) दिया गया। इस सम्बन्ध में किसी भी कार्यालय को परेशानी आनेपर निदेशालय में वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट) से सम्पर्क किया जा सकता है।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
2	बकाया दायित्वों (Pending Libilities) की सूचना भिजवाने बाबत	वित्त विभाग द्वारा बजट घोषणा के क्रम में चालू वित्त वर्ष में बकाया दायित्वों (दावों) को अभियान चलाया जाकर निपटाया जाना है। इस हेतु समस्त कार्यालयों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों की सूचना चाही गयी थी बैठक दिनांक 13.05.2011 तक कुछ कार्यालयों द्वारा ही सूचना उपलब्ध करवायी गयी। जिसे वित्तीय सलाहकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है। बैठक में समस्त सहायक लेखाधिकारियों को उक्त बाबत पत्र क्रमांक 60 दिनांक 11.05.2011 मय निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप) उपलब्ध कराया जाकर निर्देशित किया गया कि जिन कार्यालयों द्वारा वांछित सूचना नही भेजी गयी है निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.05.2011. तक सूचना भेजी जावे एवं दावे बकाया नही होने की स्थिति में **निल** की सूचना भेजी जावे। लम्बित दावों (टीए, मेडिकल अथवा कर्मचारियों के दावों को छोड़कर) के लिए वांछित अतिरिक्त बजट प्रावधान के लिये दिनांक 18.05.2011 तक आवश्यक रूप से सूचित करावें यदि भविष्य में इन बकाया दावों के भुगतान में कठिनाई आती है/भुगतान नही हो पाता है तो सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी होगें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
3	जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना बाबत विशेष अभियान	महालेखाकार, आन्तरिक जांच/निरीक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों की अनुपालना बाबत दिनांक 5-06-11 से 11-06-11 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कार्यालय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जावे तथा इसकी मोनेटरिंग सहायक लेखाधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक सम्बन्धित जोन द्वारा की जावे **अभियान में विशेष तौर से निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालनायें प्राप्त की जावें तथा दिनांक 17-06-11 को सहा. लेखाधिकारियों की मीटिंग में साथ लेकर आवें।**	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन

4	महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनाएं भिजवाने बाबत	शेष रहे समस्त कार्यालयों/चिकित्सालयों के महालेखकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनायें सम्बन्धित से एकत्रित कर दिनांक 10–06–2011 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक बैठक मे समस्त सहायक लेखाधिकारी बकाया प्रथम अनुपालना से सम्बन्धित सूची अपने साथ लायेंगे।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
5	वर्ष 2011–11 में निस्तारण योग्य सामग्री/नकारा वाहनों की सूचना	वर्ष 2011–12 में निस्तारण योग्य सामग्री/नकारा वाहनों की सूचना जिन कार्यालयों की नही भिजवायी गयी है दिनांक 10.06.2011 तक आवश्यक रूप से भिजवायी जावें। सूचना शून्य होने पर निल की सूचना भिजवावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
6	नकारा वाहनों/अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण से प्राप्त आय का लेखांकन	राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(12) वित्त–1(1)आ.व्यय/2007 दिनांक 27.01.11 के अनुसार संघ एवं राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षो की सूची के पैरा 2.3 के क्रम में अनुपयोगी सामग्री/नकारा वाहनों के निस्तारण की प्राप्त राशि को जमा कराने हेतु सभी राजस्व प्राप्तियों में मुख्य शीर्ष एवं उप मुख्य शीर्ष खोले गये है। परिपत्र में जारी दिशा–निर्देशानुरूप प्राप्त आय सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा करायी जानी है एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में यदि उक्त मदों की प्राप्त आय अन्य बजट शीर्ष में जमा करायी गयी है तो समस्त सहायक लेखाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार कार्यालयों के सम्बन्ध में हस्तानान्तरण प्रविष्टयां निदेशालय में दिनांक 16.05.2011 तक फैक्स के माध्यम से भिजवायी जावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
7	जोन स्तर पर लेखा कर्मियों की बैठक करने बाबत्	समस्त सहायक लेखाधिकारी जोन कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह जोन स्तर पर उनके अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर्मियों की बैठक का नियमित रूप से आयोजन किगा जाकर प्रगति समीक्षा की जावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
8	चोरी/गबन के मामलें।	गत बैठकों में दिये गये निर्देशों के क्रम में चोरी/गबन के मामलों में शीघ्र वसूली एवं अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करा समस्त लम्बित गबन/चोरी प्रकरणों की केसवार नवीनतम बिन्दुवार सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20.05.2011 तक फैक्स के माध्यम से उपलब्ध करावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
9	प्रपत्र 1 से 8 तक की सूचना	जिन जोन कार्यालयों द्वारा प्रपत्र 1 से 8 तक की सूचना बैठक में उपलब्ध नहीं करायी है। जोन स्तर पर समेकित कर दिनांक 20.05.2011 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
10	स्टॉक एवं स्टोर लेखें एवं भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र।	स्टॉक एवं स्टोर लेखे जोन कार्यालय स्तर पर समेकित कर निदेशालय में भिजवाये जाने थे अधिकांशतः जोन कार्यालयों में स्टॉक एवं स्टोर लेखे एवं भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र अभी तक नही भिजवाये गये है। बकाया समेकित स्टॉक एवं स्टोर लेखें दिनांक 10.05.2011 तक वाहक स्तर पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन

बैठक मे दिये गये उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें। अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

आगामी बैठक दिनांक 17–06–2011 को आयोजित की जावेगी। बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

(गुलजारी लाल शर्मा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

D:\Rajendra ji AAO\Letter-2.doc

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 451 दिनांक : 17.5.2011

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कलयाण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार कयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
9. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन...............................
11. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...
12. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
13. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब–साईट पर अपलोड़ करने का श्रम करे।
14. केयर टेकर, कृपया दिनांक 17/06/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
15. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर